निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 78 / 2024
दायरा दिनांकः–08.07.2024
निर्णय दिनांकः– 8.10.24

उनवान

1. भमला बाई आयु 56 वर्ष पत्नि जयनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. चन्द्रकला पुत्री धन्ना आयु 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला
2. रामकन्या पुत्री धन्ना आयु 58 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला
3. शंकरलाल पुत्र धन्ना आयु 50 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. देवीसिंह पुत्र शंकरलाल आयु 24 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. सरकार जर्ये हल्का पटवारी सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,89,188 251ए आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 8.10.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री दौलतराम मीणा– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,89,188 251ए आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम मोरेला तहसील छबडा में भूमि खाता नम्बर 78 खसर नम्बर 335/181 रकबा 1.8970 है0 स्थित है जिसमें वादीया का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड मं दर्ज चली आ रही है। जिसके नक्शे में तरमीम नही होने के कारण हाकने जोतने में तथा पैमाईश करवाने में दिक्कतें आती है सभी शामलाती खातेदारों में काह सुनी होती रहती है। वादीया अपने हिस्से का बटवारा सरकारी नक्शा में तरमीम करवाकर काश्त करना चाहती है। वादीया मौके पर खसरा नम्बर 188 की चारागाह भूमि की मेढ से लगवा काबिज काश्त है। मौके पर शमशान घाट से चारागाह भूमि में से होकर आने जाने का रास्ता है जो सरकारी नक्शे मे अंकित नही है जिसके कारण भी रास्ते पर अतिक्रमण करने पर लोग आमादा है। वादीया अपने खेत पर आने जाने का रास्ता चारागाह भूमि में से होकर जाने का नक्शा में अंकित करवाना चाहती है। वादीया जमाबन्दी में अंकित अपने हिस्से 1/2 को विभाजित करवाने एवं बटवारा स्पष्ट रूप से नक्शा में तरमीम करवाकर काश्त करने की अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 04 बिना खातेदार है और खातेदार शंकरलाल का पुत्र है। जो वादीया को परेशान करता है। काश्त करने में बाधा उत्पन्न करता है जान से मारने की धमकियां देता है। शमशान घाट से

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

चारागाह में से होकर जाने वाले रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है इसलिए प्रतिवादी नम्बर 4 पार्टी नम्बर 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से शान्तिपूर्वक काश्त करने हेतु पाबन्द करवाना चाहती है। वादीया वाद की मद नम्बर 1 में वार्णित कृषि आराजी में स्थित हिस्सा 1/2 को मौके पर पैमाईश करवाकर पत्थरगाढीं सीमा चिन्ह अंकित करवाकर खसरा नम्बर 188 की मेढ पर जहां वादीया मौके पर काबिज काश्त है। नक्शा में तरमीम करवाकर लेना चाहती है, जिसकी वादीया अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 5 व 6 सरकार के प्रतिनिधि होने से पार्टी नम्बर 3 बनाये गए है राज्य सरकार के विरूद्ध किसी प्रकार की रिलिफ नही चाहती इसलिए नोटिस दिया जाने की आवश्यकता नही है। पार्टी नम्बर 1 सभी शामलाती खातेदार है जिनको वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पार्टी बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 01.07.2024 को जब उत्पन्न हुआ जब पार्टी नम्बर 2 प्रतिवादी नम्बर 4 के द्वारा बार–बार काश्त करने में बाधा उत्पन्न की गयी और खेत छीनने की धमकियां दी गयी तथा वादीया का आने जाने का रास्ता बन्द करने की कोशिश की गयी। यही तारीख वाद कारण के लिए मुकरर की जाती है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मोरेला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 78 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मोरेला नकल विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2004 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 भमला बाई PW2 सत्यानारायण का शपथ पत्र पेश हुआ

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेला तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें वादीया का 1/2 हिस्सा है वादीया व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है विवादित भूमि नक्शा में तरमीम व अलग–अलग खातेदारी में नही होने के कारण आपस में कहां सुनी होती रहती है वादीया अपने हिस्से की भूमि का बटवारा कराना चाहती है वादीया का मौके पर कब्जा अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर खाता अलग दर्ज करने के आदेश फरमावें ताकि खातेदारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो सकें।

बहस अभिभाषक वादीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मोरेला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 78 में वादीया का 1/2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि वादीया का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है जिसे वादीया अलग खातेदारी में दर्ज कराना चाहती है प्रतिवादीगण का 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज है प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया। वादीया का वाद प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेला तहसील छबडा के खसरा नम्बर 335/181 रकबा 1.8970 है0 वादीया का हिस्सा मौके पर कब्जे व रास्ते को ध्यान में रखते हुए अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

C:\Users\Lenovo\Desktop\firoj all letter folder\Rambabu ji fesla file Dava.docx

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)
प्राथमिक डिक्री

संख्या 78 / 2024	धारा 53,89,188,251 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 08.10.2024

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री दौलतराम मीणा–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री

वाद शीर्षक

उनवान

1. भमला बाई आयु 56 वर्ष पत्नि जयनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. चन्द्रकला पुत्री धन्ना आयु 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला
2. रामकन्या पुत्री धन्ना आयु 58 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला
3. शंकरलाल पुत्र धन्ना आयु 50 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. देवीसिंह पुत्र शंकरलाल आयु 24 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. सरकार जर्ये हल्का पटवारी सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेला तहसील छबडा के खसरा नम्बर 335 / 181 रकबा 1.8970 है0 वादीया का हिस्सा मौके पर कब्जे व रास्ते को ध्यान में रखते हुए अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 8.10.24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 78/2024	धारा अन्तर्गत 53,89,188,251ए आर टी	निर्णय दिनांक : 22.1.25
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः–श्री दौलतराम मीणा	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. भमला बाई आयु 56 वर्ष पत्नि जयनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. चन्द्रकला पुत्री धन्ना आयु 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला
2. रामकन्या पुत्री धन्ना आयु 58 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला
3. शंकरलाल पुत्र धन्ना आयु 50 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. देवीसिंह पुत्र शंकरलाल आयु 24 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. सरकार जर्ये हल्का पटवारी सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है किः–

विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेला तहसील छबडा का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	लगान	दिशा
1. चन्द्रकला पुत्री धन्नालाल हिस्सा 1/3 रामकन्या पुत्री धन्न हिस्सा 1/3 शंकरलाल पुत्र धन्ना हिस्सा 1/3 जातियान गर्जर सा0देह	335/181	0.9485	2.33	दक्षिण
	किता 1	0.9485 है0	–	–
2. भमला पत्नि जयनारायण हिस्स पूर्ण जाति गुर्जर सा0देह	344/181	0.9485	2.32	उत्तर
	किता 1	0.9485 है0	–	–

उपरोक्तनुसार विवादित आराजी पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जात है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 22.1.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		